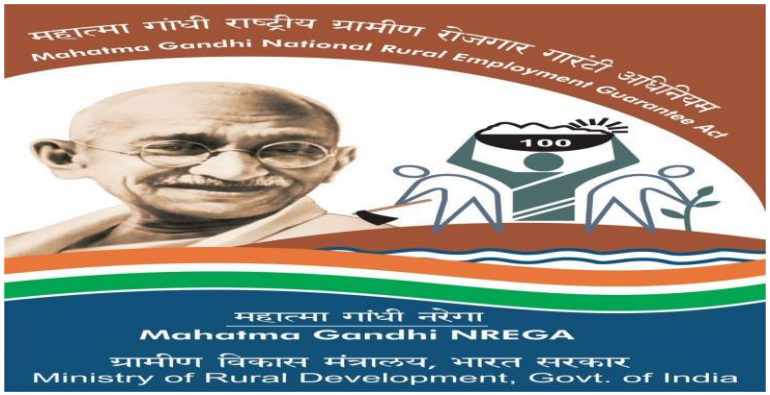

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

वर्ष– 2016–17

जनपद– गौतमबुद्धनगर।

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाः—

महात्मा गांधी नरेगा योजना का उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुषल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से उपर उठने मे सहायता कर सकती है। इससे ग्राम मे ही रोजगार मिलने से गांव से शहरों की ओर पलायन मे कमी आयगी, महिला सषक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, पर्यावरण को बढावा मिलेगा, गारण्टीषुदा रोजगार प्राप्त होगा तथा गांव के गरीब अपने खेतों पर स्थायी परिसम्पत्तियां निर्मित कर सकते है, जिससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होगे और वे आर्थिक रूप से समृद्ध होगे।

मजदूरी का भुगतान सप्ताह मे एक बार और विलम्बतम् 15 दिन मे करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेष मे न्यूनतम मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2016—17 में 01 अप्रैल 2016 से अंकन रू. 174/— थी। योजनान्तर्गत पंजीकरण और काम के लिए आवेदन करने वालों मे कम से कम एक तिहाई महिलायें होगीं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 में न्यूनतम मजदूरी दर 01 अप्रैल 2017 से अंकन रू0 175/— है।

योजनान्तर्गत कच्चे निर्माण कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। योजना अन्तर्गत जल सरंक्षण एंव जल संग्रहण, वृक्षारोपण, सूक्ष्म एंव लघु सिचाई के कार्य, भूमि सुधार, परम्परागत जल स्रोतों का नवीनीकरण एंव पोखरों, तालाबों की मिट्टी हटाना, बाढ नियंत्रण, जल निकासी के कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों को जोडने वाली सडकों का निर्माण, सोकपिट, रिचार्ज पिट्स, वर्मी कम्पोस्टिंग सालिड एण्ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यूरिन टैंक, विकास खण्ड स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र एंव आंगनबाडी केन्द्र आदि का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु 11 परियोजनाओं यथा उद्यानीकरण, भूमि सुधार, वनीकरण, मत्स्य पालन, रेषम परियोजना, जीवन ज्योति परियोजना, सिचाई समृद्वि, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन परियोजना, जल सरंक्षण एंव जल संवर्धन आदि का कार्य कराये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

योजनान्तर्गत श्रम एंव सामग्री मे 60:40 का अनुपालन रखा जाएगा। योजना मे ठेकेदारी प्रथा तथा मषीनों से कार्य पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है।

मनरेगा के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी कार्यो का ''सामाजिक अंकेक्षण'' ैवबपंस ।नकपजद्ध ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, जिससे योजना मे पारदर्षिता सुनिष्चित की जाएगी।

जनपद में योजना की प्रगति–

जनपद में योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु 93.39 लाख के अनुमोदित लेबर–बजट के सापेक्ष माह 31 मार्च 2016 तक रू. 30.01 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष का भौतिक लक्ष्य 32541 के सापेक्ष माह 31 मार्च 2017 तक 16554 मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की स्थिति

जनपद– गौतमबुद्धनगर दिनांक 31.03.2017

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय प्रगति	वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत
1	गौतमबुद्धनगर।	**32541**	**16554**	50ण्87	**93ण्39**	**30ण्01**	32ण्13

मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों की मांग के क्रम में शत–प्रतिषत रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह अप्रैल के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की स्थिति

जनपद– गौतमबुद्धनगर दिनांक 30.04.2017

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय प्रगति	वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत

1	गौतमबुद्धनगर।	**385**	**910**	236ण्36	**0ण्93**	**1ण्59250**	170ण्96

मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों की मांग के क्रम में शत–प्रतिषत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

''जनपद मे योजना की कम प्रगति के मुख्य कारण''

जनपद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगा हुआ एंव ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण औद्योगिक जनपद होने के कारण संख्या मे औद्योगिक ईकाइया शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्यरत है, जिससे स्थानीय श्रमिकों को दैनिक मजदूरी रू. 300–350 मे आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता है, जबकि मनरेगा मे दैनिक मजदूरी वर्ष 2016–17 में मात्र रू. 174/– प्रतिदिन थी।

जनपद में पूर्व में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 243 थीं। वर्तमान में विकास खण्ड बिसरख में 6, दादरी में 48, दनकौर में 12 एवं जेवर में 36 ग्राम पंचायतें हैं, इस प्रकार जनपद में मात्र 102 ग्राम पंचायतें अवषेष हैं। शेष ग्राम पंचायतें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण में अधिसूचित हो गयी हैं। जनपद मे प्राधिकरणों द्वारा कृषकों की भूमि का अधिग्रहण ऊँची दरों पर किया जाता है, जिसके प्राप्त मुआवजें की राषि से ग्राम पंचायतों मे भी मकानों तथा दुकानो की निर्माण व्यापक संख्या मे चलता रहता है। जिसमें स्थानीय श्रमिकों को आसानी से रोजगार ऊँची दरों पर मिल जाता है।